हिंदी दिवस

drishtiias.com/hindi/printpdf/hindi-diwas

प्रिलिम्स के लिये:

हिंदी दिवस, आठवीं अनुसूची, अनुच्छेद 351, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

मेन्स के लिये:

हिंदी दिवस से संबंधित विभिन्न तथ्य एवं इसकी प्रासंगिकता

चर्चा में क्यों?

भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को **हिंदी दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

इस दिन को मनाने के पीछे एक कारण देश में अंग्रेज़ी भाषा के बढ़ते चलन और हिंदी की उपेक्षा को रोकना है।

प्रमुख बिंदु

- **हिंदी दिवस का इतिहास:**
  - देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को 14 सितंबर, 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था।
    - काका कालेलकर, मैथिलीशरण गुप्त, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास ने हिंदी को राजभाषा बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
  - पहला हिंदी दिवस वर्ष 1953 में मनाया गया था।
  - हिंदी के अलावा अंग्रेजी दूसरी आधिकारिक भाषा है (संविधान का अनुच्छेद 343)।
  - हिंदी **आठवीं अनुसूची** की भाषा भी है।
  - अनुच्छेद 351 'हिंदी भाषा के विकास के लिये निर्देश' से संबंधित है।
  - हिंदी **शास्त्रीय भाषा** नहीं है।

- **विश्व हिंदी दिवस:**
    - यह 10 जनवरी को मनाया जाता है।
    - 10 जनवरी, 1975 को नागपुर में संपन्न **प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन** की वर्षगाँठ के अवसर पर हुए आयोजन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
    - पहली बार यह वर्ष 2006 में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा दुनिया भर में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया गया था।
    - विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन 2018 में मॉरीशस में किया गया था।
- **हिंदी भाषा के विषय में:**
    - **उद्भव**
        - हिंदी भाषा को अपना नाम फारसी शब्द 'हिंद' से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है 'सिंधु नदी की भूमि'। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्की के आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र की भाषा को हिंदी यानी 'सिंधु नदी की भूमि की भाषा' नाम दिया।
        - आधुनिक देवनागरी लिपि भी 11वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आई।
    - **भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में हिंदी का प्रयोग:**

      दुनिया में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में हिंदी पाँचवीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।

      वर्तमान में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूज़ीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरीशस और दक्षिण अफ्रीका में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है।
- **संबंधित सरकारी प्रयास**
    - वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय राज्यों के गैर-हिंदी भाषी लोगों, विदेशों में बसे भारतीयों और हिंदी सीखने के इच्छुक विदेशी नागरिकों को पत्राचार के माध्यम से हिंदी का ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से 'केंद्रीय हिंदी निदेशालय' की स्थापना की गई थी।
    - **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद** (ICCR) ने विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में 'हिंदी चेयर' की स्थापना की है।
    - 'लीला-राजभाषा' (लर्न इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) हिंदी सीखने हेतु एक मल्टीमीडिया आधारित स्व-शिक्षण अनुप्रयोग है।
    - राजभाषा विभाग द्वारा विकसित 'ई-सरल हिंदी वाक्य कोश' और 'ई-महाशब्द कोश मोबाइल एप' का उद्देश्य हिंदी के विकास के लिये सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुनिश्चित करना है।
    - 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' और 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' हिंदी में योगदान को मान्यता देते हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस